

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अगस्त 2011—श्रावण 15, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 3650-275-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अगस्त, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०११

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक- ३ ) अधिनियम, २०११

[ दिनांक २ अगस्त, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ अगस्त, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०११ है.

वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३७,७५,२५,४५,७०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार सात सौ पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार सात सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०११-२०१२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

## अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	२,२६,१३,४०,०००	२,२६,१३,४०,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	७,१९,००,३००	२०,१६,०००	७,३९,१६,३००
		पूँजी	७,५०,००,०००	०	७,५०,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,६५,८७,०००	०	१,६५,८७,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	५६,५२,१०,०००	०	५६,५२,१०,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०४. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१,१०,७५,०००	०
			१,१०,७५,०००
०५. जेल	राजस्व	१,५०,०००	०
			१,५०,०००
०६. वित्त	राजस्व	६,१३,९०,०००	०
	पूंजी	१,००,००,००,०००	०
			१,००,००,००,०००
०७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	२०,१८,८३,०००	०
			२०,१८,८३,०००
०८. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	९,३०,११,०००	२३,००,०००
	पूंजी	४,१३,००,०००	०
			९,५३,११,०००
			४,१३,००,०००
०९. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	२७,२०,०००	०
			२७,२०,०००
१०. वन	राजस्व	६,५०,००,०००	०
			६,५०,००,०००
११. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	८७,६४,०००	०
			८७,६४,०००
१२. ऊर्जा	राजस्व	६७,१२,००,०००	०
	पूंजी	६,८२,५०,००,०००	०
			६,८२,५०,००,०००
१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१०,०४,१४,५००	०
			१०,०४,१४,५००
१४. पशुपालन	राजस्व	६,००,०००	०
	पूंजी	५३,५०,००,०००	०
			५३,५०,००,०००
१५. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,८४,५७,०००	०
			१,८४,५७,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१७. सहकारिता	राजस्व	२८,४३,६००	०
	पूँजी	१,१३,००,००,०००	०
१८. श्रम	राजस्व	१८,६१,१२,०००	०
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१२,९२,९१,१००	०
	पूँजी	५०,६८,८०,०००	०
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	२,४८,०५,०००	०
	पूँजी	१००	०
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	१,२०,१००	०
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	१,६३,८३,५००	०
२३. जल संसाधन	पूँजी	२,००,००,०००	०
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजी	१,०७,००,०१,१००	१०,००,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१,२७,७४,०००	०
२६. संस्कृति	राजस्व	४,२५,८५,०००	०
	पूँजी	२,५०,००,०००	०
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	३,१६,६०,७५,०००	०
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	४०,००,०००	०

(१)	(२)	(३)		
			रुपये	रुपये
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१,१३,४२,५०,०००	६३,०००
				१,१३,४३,१३,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	६,००,०००	०
				६,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६६,७०,०००	०
				६६,७०,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	२५,००,०००	०
				२५,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१,८१,७३,०००	०
				१,८१,७३,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	९,५७,००,०००	०
				९,५७,००,०००
३६.	परिवहन	पूंजी	२,००,००,०००	०
				२,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,६६,४९,१४,०००	०
				१,६६,४९,१४,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	पूंजी	१०,५०,८८,८००	०
				१०,५०,८८,८००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	६०,९९,२३,०००	०
		पूंजी	१,३६,३२,८५,२००	०
				१,३६,३२,८५,२००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	५०,०१,५५,०००	०
				५०,०१,५५,०००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	४,१०,००,०००	०
		पूंजी	१,१०,००,०००	०
				१,१०,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	७,५८,१००	०
	पूंजी	३,७५,००,०००	०
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	१,३०,००,०७,०००	०
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी	पूंजी	१०,००,०००	०
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	१२,००,०००	०
४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	७,२०,०००	०
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	३,५०,०००	०
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२,६३,४३,८२,०००	०
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१,०२,००,०००	०
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२,२७,४४,१६,२००	०
	पूंजी	१५,००,००,०००	०
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	२,५०,१८,०२,००	०
६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.	राजस्व	११,५५,००,०००	०
	पूंजी	१,५६,५९,७००	०

(१)	(२)	(३)	
			रुपये
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय		रुपये
	राजस्व	९,५८,००,०००	०
	पूंजी	२०,००,००,०००	०
६२.	पंचायत		रुपये
	राजस्व	११,८२,०००	०
६३.	अल्प संख्यक कल्याण		रुपये
	राजस्व	५,५१,४००	०
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना		रुपये
	राजस्व	८२,९८,४६,०००	०
	पूंजी	९१,०३,४८,०००	०
६५.	विमानन		रुपये
	पूंजी	६,७२,००,०००	०
६७.	लोक निर्माण कार्य— भवन		रुपये
	राजस्व	५०,००,०००	०
	पूंजी	५,५०,००,०००	०
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी		रुपये
	राजस्व	१,४०,००,०००	०
	पूंजी	५०,००,०००	०
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास		रुपये
	राजस्व	४०,००,०००	०
	पूंजी	१,२६,५६,०००	०
७३.	चिकित्सा शिक्षा		रुपये
	पूंजी	१२,८५,७८,०००	०
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		रुपये
	राजस्व	१,४०,४०,५७,०००	०
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		रुपये
	राजस्व	४,६३,२२,०००	०

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२८,९०,००,०००	०
	राजस्व	१९,२७,६१,६७,८००	२,२६,५७,१९,०००
	पूंजी	१६,११,०६,५८,९००	१०,००,००,०००
वृहद योग :		३५,३८,६८,२६,७००	२,३६,५७,१९,०००
			३७,७५,२५,४५,७००

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 3651-275-21-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 25 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 2nd August, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th August, 2011.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2011-2012.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2011.

Issue of Rs. 37,75,25,45,700 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2011-2012.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Three thousand seven hundred seventy five crore twenty five lacs forty five thousand seven hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2011-2012 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



## THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.			
	Revenue	0	<b>2,26,13,40,000</b>	2,26,13,40,000
01.	General Administration			
	Revenue	7,19,00,300	<b>20,16,000</b>	7,39,16,300
	Capital	7,50,00,000	<b>0</b>	7,50,00,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	1,65,87,000	<b>0</b>	1,65,87,000
03.	Police			
	Revenue	56,52,10,000	<b>0</b>	56,52,10,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	1,10,75,000	<b>0</b>	1,10,75,000
05.	Jail			
	Revenue	1,50,000	<b>0</b>	1,50,000
06.	Finance			
	Revenue	6,13,90,000	<b>0</b>	6,13,90,000
	Capital	1,00,00,00,000	<b>0</b>	1,00,00,00,000
07.	Commercial Tax			
	Revenue	20,18,83,000	<b>0</b>	20,18,83,000
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	9,30,11,000	<b>23,00,000</b>	9,53,11,000
	Capital	4,13,00,000	<b>0</b>	4,13,00,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department			
	Revenue	27,20,000	<b>0</b>	27,20,000
10.	Forest			
	Revenue	6,50,00,000	<b>0</b>	6,50,00,000

(1)	(2)	Rs.	Rs.	Rs.	
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	87,64,000	0	87,64,000
12.	Energy	Revenue	67,12,00,000	0	67,12,00,000
		Capital	6,82,50,00,000	0	6,82,50,00,000
13.	Farmers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	10,04,14,500	0	10,04,14,500
14.	Animal Husbandry	Revenue	6,00,000	0	6,00,000
		Capital	53,50,00,000	0	53,50,00,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan	Revenue	1,84,57,000	0	1,84,57,000
17.	Co-operation	Revenue	28,43,600	0	28,43,600
		Capital	1,13,00,00,000	0	1,13,00,00,000
18.	Labour	Revenue	18,61,12,000	0	18,61,12,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	12,92,91,100	0	12,92,91,100
		Capital	50,68,80,000	0	50,68,80,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	2,48,05,000	0	2,48,05,000
		Capital	100	0	100
21.	Housing and Environment	Revenue	1,20,100	0	1,20,100
22.	Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	1,63,83,500	0	1,63,83,500
23.	Water Resources Department	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
24.	Public Works-Roads and Bridges	Capital	1,07,00,01,100	10,00,00,000	1,17,00,01,100

(1)	(2)	Rs.	Rs.	Rs.
25. Mineral Resources	Revenue	1,27,74,000	0	1,27,74,000
26. Culture	Revenue	4,25,85,000	0	4,25,85,000
	Capital	2,50,00,000	0	2,50,00,000
27. School Education (Primary Education).	Revenue	3,16,60,75,000	0	3,16,60,75,000
28. State Legislature	Revenue	40,00,000	0	40,00,000
29. Law and Legislative Affairs	Revenue	1,13,42,50,000	<b>63,000</b>	1,13,43,13,000
30. Rural Development	Revenue	6,00,000	0	6,00,000
31. Planning Economics and Statistics	Revenue	66,70,000	0	66,70,000
32. Public Relations	Revenue	25,00,000	0	25,00,000
33. Tribal Welfare	Revenue	1,81,73,000	0	1,81,73,000
34. Social Justice	Revenue	9,57,00,000	0	9,57,00,000
36. Transport	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
39. Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	1,66,49,14,000	0	1,66,49,14,000
40. Expenditure pertaining to Water Resources Department- Command Area Development	Capital	10,50,88,800	0	10,50,88,800
41. Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	60,99,23,000	0	60,99,23,000
	Capital	1,36,32,85,200	0	1,36,32,85,200
42. Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	50,01,55,000	0	50,01,55,000

(1)	(2)	Rs.	Rs.	Rs.
43.	Sports and Youth Welfare			
	Revenue	4,10,00,000	0	4,10,00,000
	Capital	1,10,00,000	0	1,10,00,000
44.	Higher Education			
	Revenue	7,58,100	0	7,58,100
	Capital	3,75,00,000	0	3,75,00,000
45.	Minor Irrigation Works			
	Capital	1,30,00,07,000	0	1,30,00,07,000
46.	Science and Technology			
	Capital	10,00,000	0	10,00,000
47.	Technical Education and Skill Development			
	Revenue	12,00,000	0	12,00,000
49.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	7,20,000	0	7,20,000
51.	Religious Trusts and Endowments			
	Revenue	3,50,000	0	3,50,000
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	2,63,43,82,000	0	2,63,43,82,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	1,02,00,000	0	1,02,00,000
55.	Women and Child Development			
	Revenue	2,27,44,16,200	0	2,27,44,16,200
	Capital	15,00,00,000	0	15,00,00,000
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	2,50,18,02,000	0	2,50,18,02,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes			
	Revenue	11,55,00,000	0	11,55,00,000
	Capital	1,56,59,700	0	1,56,59,700
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package			
	Revenue	9,58,00,000	0	9,58,00,000
	Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
62. Panchayat	Revenue	11,82,000	0
			11,82,000
63. Minority Welfare	Revenue	5,51,400	0
			5,51,400
64. Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	82,98,46,000	0
	Capital	91,03,48,000	0
			91,03,48,000
65. Aviation	Capital	6,72,00,000	0
			6,72,00,000
67. Public Works-Buildings	Revenue	50,00,000	0
	Capital	5,50,00,000	0
			5,50,00,000
69. Information Technology	Revenue	1,40,00,000	0
	Capital	50,00,000	0
			50,00,000
72. Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.	Revenue	40,00,000	0
	Capital	1,26,56,000	0
			1,26,56,000
73. Medical Education Department	Capital	12,85,78,000	0
			12,85,78,000
74. Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	1,40,40,57,000	0
			1,40,40,57,000
75. Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	4,63,22,000	0
			4,63,22,000
77. Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	28,90,00,000	0
			28,90,00,000
<b>Total</b> . . .	{ Revenue . .	19,27,61,67,800	<b>2,26,57,19,000</b>
	{ Capital . .	16,11,06,58,900	<b>10,00,00,000</b>
	<b>Grand Total</b> . .	35,38,68,26,700	<b>2,36,57,19,000</b>
			21,54,18,86,800
			16,21,06,58,900
			37,75,25,45,700